Title: Discussion on Securities Laws (Amendment) Bill, 1999 and Securities Laws (Second Amendment) Bill, 1999. (Passed)

1501 hours

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, Government have recommended two hours for the combined consideration and passing of (i) Securities Laws (Amendment) Bill, 1999; and (ii) Securities Laws (Second Amendment) Bill, 1999. If the House agrees, both the Bills may be taken up together for consideration and passing and two hours may be allotted for this purpose. Does the House agree to this?

SOME HON. MEMBERS: Yes.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The Minister may now move for consideration of the two Bills.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): Sir, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, be taken into consideration."

"That the Bill further to amend the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and the Depositories Act, 1996, be taken into consideration."

Sir, the Bill proposes to expand the definition of securities under the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and to include derivatives and instruments of collective investment schemes. This would enable development and regulation of markets for derivatives of securities and units of collective investment. The Bill also proposes to authorise the Central Government to delegate powers to the Reserve Bank of India under this Act. This would enable the RBI to regulate transactions in Government securities and other related instruments as may be specified by the Government.

In the last few years, Sir, there have been substantial improvements in the functioning of the capital market. Risks have been reduced by requirement of adequate capitalisation, margining, establishment of clearing corporations in stock exchanges, etc. Systemic improvements have been made by introduction of screen-based trading and depositories to allow book entry transfer of securities and so on. However, there are inadequate advanced risk management tools. With a view to promoting and providing such tools and to strengthen and deepen the markets, there is an urgent need to allow derivatives trading in securities for which the infrastructure, rules and regulations are ready. SEBI has already drawn up a detailed regulatory framework under which stock exchanges, clearing corporations, clearing houses would be permitted to carry on derivatives trading and settlement. This constitutes a major component of economic reforms process in the securities market. The Bill, therefore, proposes to include derivatives within the ambit of securities in the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, thereby trading in derivatives may be possible within the framework of this Act.

Sir, recently, many companies, specially plantation companies, have been raising resources from investors which are in the form of collective investment schemes. However, the existing regulatory framework is not adequate to allow an orderly development of this market. In order that the interest of investors is protected, Government took a decision that SEBI would frame regulations with regard to collective investment schemes which would include, instruments such as agro-bonds to enable the SEBI to regulate collective investment schemes and develop the market for the same effectively. The Bill proposes to amend the definition of securities under the Securities Contract (Regulation) Act, 1956 so as to include these instruments as well as the units of collective investment schemes within its ambit.

Sir, the Securities Contracts (Amendment) Bill, 1998 was introduced in the Lok Sabha on 4th July, 1998. The Bill was later referred by the Hon. Speaker, Lok Sabha to the Standing Committee on Finance on 10th July, 1998 for examination and report thereon. The Committee submitted their report on 17th March, 1999. Many of the important recommendations of the Committee have been accepted by the Government and incorporated in the Bill. Thus the Bill aims to protect the interests of investor while promoting an orderly market for trading in derivatives and units of collective investment schemes.

This, Sir, is the first Bill that I move with your permission.

The second Bill, Sir, relates to the amendments of the Securities Laws (Second) Amendment Bill, 1999, no. 68 of 1999.

Sir, in order to bring greater transparency and impartiality of appellate body, the Bill proposes to amend the Securities Laws, namely, the Securities Contracts (Regulation) Act of 1956, the Securities and Exchange Board of India (SEBI) Act of 1992 and the Depository Act of 1996 to empower the Securities Appellate Tribunal to dispose of all appeals under these Acts instead of the Central Government.

Sir, at present, the appeals from the SEBI lie with the Central Government. It is our proposal that these appeals should lie with the Appellate Tribunal which already exists under the SEBI Act. We are bringing this amendment to take this power away from the Government, from the Ministry of Finance, and empower the SAT to deal with this. The Presiding Officer of the SAT has been consulted in this matter. He has suggested that the Securities Laws may be amended to delegate these powers to SAT. And, this is what we are proposing to achieve through this Amendment.

Sir, with your permission, I move that both these Bills be taken into consideration.

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Are both these Bills taken together?

MR. DEPUTY-SPEAKER: For discussions, yes, together.

SHRI BASU DEB ACHARIA :But it has not been mentioned in the Order Paper of today that item no. 24 and 25 would be taken together.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House has agreed. Just now, I have read out and the House has agreed. There is not much of a difference in that.

SHRI BASU DEB ACHARIA : But the sense of the House has not been taken.

SHRI YASHWANT SINHA: The sense of the House has been taken, Shri Basu Deb Acharia.

SHRI BASU DEB ACHARIA : When was it taken?

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (BOLPUR): Let everything not be thrown to winds. But Members have to be told. Of course, we would not have objected to it but courtesy demands that the hon. Minister takes leave of the Chair before he goes on to the second Bill.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The proposal had come and I put it before the House, and nobody objected to it.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Some norms be maintained.

SHRI YASHWANT SINHA: Sir, this point has to be clarified. I must state that it was the hon. Deputy-Speaker who took the sense of the House. It was only with his persmission that I took both these Bill together.

SHRI BASU DEB ACHARIA : No.

SHRI YASHWANT SINHA: Yes, he did.

SHRI BASU DEB ACHARIA : I think, the sense of the House was not taken.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, I think, if the House has no objection, we can go ahead with it

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Sure, Sir. The sense of the House is retrospectively given.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motions moved:

"That the Bill further to amend the Securities Contracts(Regulation) Act, 1956 and the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, be taken into consideration."

"That the Bill further to amend the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and the Depositories Act, 1996, be taken into consideration."

">
श्री जे.एस. बरार (फरीदकोट) : आदरणीय सिन्हा जी की तरफ से लाया गया सिक्योरिटीज लॉ (सैकिंड अमैंडमैंट) बिल का मैं विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुख्य रूप से तीन मुद्दों के ऊपर जो यह अमैंडमैंट लाया गया है, उसका मैं विरोध करता हूं। सबसे पहले मेरा ध्यान उन लाखों करोड़ों पूंजीनिवेशकों की तरफ जाता है जिन्होंने पहले इस आस और उम्मीद के साथ करोड़ों रुपया लगाया। एग्रो प्लांटेशंस कम्पनियों से जुड़ी हुई और कम्पनियां व सेबी की तरफ से बनाये गये कानूनों के बावजूद भी उन लोगों का करोड़ों रुपया डूब गया, या तो ये कम्पनियां मार्केट से आलोप हो गयीं जैसे पहले हर्षद मेहता के काण्ड में हुआ था। उसके भी लाखों करोड़ों रुपये का हिसाब अभी तक मुल्क के सामने नहीं आया।
">

"त्रसिन्हा जी, मुझे दूसरा एतराज इस अमैंडमैंट के ऊपर यह है कि बुनियादी रूप से यह संविधान की उन भावनाओं के खिलाफ है जिससे स्टेटस के पास अपनी लैंड और अपनी खेती के अधिकार हैं। यह जो अमैंडमैंट आप लेकर आये हैं, उनका इनफ्रिंजमैंट है। मुझे तो यह लग रहा है कि कुछ नौकरशाहों की यह बहुत बड़ी साजिश है कि सिक्योंरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ ईंडिया को इतना ताकतवर कर दिया जाये, इतना मजबूत कर दिया जाये कि पहले जो करोड़ों रुपया लोगों का डूबा है, अब आगे भी वह वैसे ही अपनी उन परम्पराओं पर चलते रहें।

">

">आदरणीय डिप्टी स्पीकर सर, मैं आपका ध्यान इस बात की तरफ भी ले जाना चाहता हूं कि मंत्री जी ने इस अमैंडमैंट को रखा है और बड़े विश्वास के साथ कहा है कि इसे रैगुलेट करने से देश का और लोगों का भला होगा। मंत्री जी, आपने देखा होगा, हमें बहुत पत्र मिले हैं, और माननीय सदस्यों को भी पत्र मिले होंगे, आज से कुछ साल पहले अखबारों में बहुत बड़े ऐडवर्टाइजमैंटस आए थे कि आप इन ऐग्रो प्लान्टेशन्स में पैसा लगाइए। लोगों ने उसमें धड़ाधड़ पैसे लगाए। जब सेबी को इसके बारे में पड़ताल करने के लिए कहा गया, मेरा ख्याल है १९९५ में जो धोखाधड़ी की गई, उसके बारे में जो बात हुई, मुझे भी उसका ज्ञान है कि उन ऐडवर्टाइजमैंटस के धोखे में आकर लोगों ने अपने पैसे लगाए। बाद में सारी दुकानें बंद हो गईं। मेरा इस अमैंडमैंट बिल का विरोध करने का मुख्य रूप से एक मकसद यह है कि आप उन लोगों को इतनी ताकत और शक्ति प्रदान कर रहे हैं जिन्होंने पहले आपका विश्वास डुबाया है। इससे आने वाले समय में कोई फायदा नहीं होगा। मेरे ख्याल में पार्लियामैंट को भी इस मुद्दे पर बहुत अंधेरे में रखा गया है। मैं यह बात इसलिए भी कहना चाहता हूं क्योंकि मेरा मन उन लोगों के लिए भरता है। पंजाब में ऐसे भी कुछ किसान थे, पर-कैपिटा इनकमवाइज़ हमारे स्टेट के लोगों ने डाईवर्सीफिकेशन ऑफ ऐग्रीकल्चर के नारे के तहत उसमें अपने इतने पैसा लगा दिए कि उसके बाद किसानों को खुदकुशी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। सैंकड़ों की तादाद में हमारे किसानों ने खुदकुशी की। अब मैं मोटे तौर पर इस अमैंडमैंट के एक और मुद्दे की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं आपको इस बारे में यह सुझाव देना चाहता हूं कि ऐसी योजना अथवा ऐसी योजना व्यवस्था से अचल सम्पत्ति प्राप्त करने की दृष्टि से निवेशकारों द्वारा सभी अंशदान अथवा भुगतान की प्रविष्टि से अन्य बातों के साथ-साथ सम्पत्ति, जिसमें कृषि भूमि सहित सम्पत्ति की बिक्री पर पेशगी भी सम्मिलित है, भारत के संविधान के विरुद्ध है क्योंकि केन्द्र सरकार कृषि भूमि से संबंधित मुद्दों पर कानून नहीं बना सकती, क्योंकि यह विषय राज्य के अंतर्गत और भारत के संविधान के अनुच्छेद २४६(२) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार होना चाहिए। यह उसके अनुसार नहीं है और यह ईंडियन कौन्सटीट्यूशन का उल्लंघन है। इस अमैंडमैंट से कुछ नौकरशाह और सिक्युरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ ईंडिया के कुछ अफसर साहिबान, मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता लेकिन यह बात बिल्कुल तय है कि करोड़ों-अरबों रुपयों की लूट सिक्युरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ ईंडिया के बहुत बड़े-बड़े अफसरों ने की है। अब उन्हीं के हाथ में इतनी बड़ी शक्ति दे देना, यह बात मुझे ठीक नहीं लगती। चल सम्पत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से निवेशकारों द्वारा योजना अथवा व्यवस्था में किए गए सभी अंशदान अथवा भुगतान की प्रविष्टि और इससे आगे जाकर पैदावार प्राप्त करने की दृष्टि से पूंजी निवेशकारों द्वारा किसी योजना अथवा व्यवस्था में किए गए सभी अंशदान अथवा भुगतान, और इस एमैंडमैंट में जो कहा गया है, इससे एलीनेशन के सबूत के रूप में दस्तावेज अर्थात्

">... (व्यवधान)
">

">DR. NITISH SENGUPTA (CONTAI): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am on a point of order.

">MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Brar, he is on a point of order.

">... (Interruptions)

">MR. DEPUTY-SPEAKER: What is your point of order? Under what rule are you raising your point of order?

">DR. NITISH SENGUPTA : The hon. Member mentioned that the SEBI has ... (Interruptions)

">MR. DEPUTY-SPEAKER: Please quote the rule.

">... (Interruptions)

">MR. DEPUTY-SPEAKER: There is no point of order.

">श्री जे.एस. बरार : नहीं, मेरे बस एक-दो पाइंटस और हैं, मैं हाउस का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा।

">

">प्रतिभूति और संविदा रैगुलेशन अधिनियम, १९५६ के इस बिल के खंड दो के २(एच) की धारा, जो आपने इसमें प्रकाशित की है, इसमें संशोधन किया जाये ताकि किसी सामूहिक निवेश योजना द्वारा जारी किये गये यूनियों अथवा किसी अन्य दस्तावेज को निवेशकों के लिए सम्मिलित किया जाये। यह इस धारा में दी गई प्रतिभूतियों की परिभाषा के अन्तर्गत हो।

">

">एक सुझाव मेरा अन्त में और है। प्रतिभूतियों में वर्तमान परिभाषा में शेयर, सक्रिप्स और जो बंध पत्र तथा रेहन सम्बन्धी दस्तावेज़ हैं, उसमें सामूहिक पूंजी निवेश योजना की प्रस्तावित परिभाषा को उसी वर्ग में शामिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि कलैक्टिव इन्वैस्टमेंट स्कीम, जो आपकी सामूहिक पूंजी निवेश योजना है, उसकी अपने आपमें कोई एंटिटी नहीं है और इसे सामूहिक पूंजी निवेश प्रबन्ध कम्पनी द्वारा ही जारी किया जा सकता है। माननीय मंत्री महोदय इन दो मुद्दों के ऊपर स्पष्टीकरण दें। इससे किसानों की और गरीब लोगों की लूट और बढ़ेगी। ताकत और शक्ति भी इससे बढ़ेगी। १९९५ में भी कहा गया कि पार्लियामेंट से पूछे बिना सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने अपने तौर पर ही एक रैगुलेशन जारी कर दी थी और बाद में उसके बारे में हाउस को इन्फोर्म किया गया। मंत्री जी आप देश के बहुत काबिल खजाना मंत्री हैं, हमारा आपके एक्सपीरिएंस या लियाकत के ऊपर कोई शक नहीं है, लेकिन यह बात आपको माननी चाहिए कि देश के इतनी बड़ी समस्याओं से घिरे हुए मुल्क में कभी ऐसा हो जाता है कि आपको भी पढ़ने का वक्त न मिला हो। इस कानून और एमेंडमेंट से बड़ा नुकसान होगा। नौकरशाही, अफसरशाही और कुछ अधिकारी अपने पास सैण्ट्रलाइजेशन ऑफ पावर करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो सारे देश में इस बात के ऊपर वोट लिये हैं कि डीसैण्ट्रलाइजेशन हमारा मुद्दा है और ज्यादा पावर्स आप स्टेटस को देंगे। लेकिन इस कानून से, मेरा यह मानना है कि आप सीधे इनफ्रिंजमेंट कर रहे हैं, जो अधिकार संविधान के द्वारा स्टेटस को दिये गये हैं, उनके ऊपर आप इसके द्वारा एक धब्बा लगा रहे हैं।

">

">मैं इस सैकेंड एमेंडमेंट बिल का कड़ा विरोध करता हूं और मेरा ध्यान उन लाखों लोगों की तरफ जाता है, जिनके साथ इतना बड़ा विश्वासघात हुआ है। जब यहां अन्य सरकारों ने भी पड़ताल करने को कहा तो सेबी ने बड़ी खूबसूरती के साथ सारा कवर-अप कर दिया और उन लोगों को इन्साफ नहीं मिल सका।

">

">इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।

">

">

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर-पूर्व) : सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले माननीय मंत्री महोदय का स्वागत करूंगा। मैं इन दोनों बिलों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

">

">सभागृह की, सदन की जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि इन दोनों विषयों के ऊपर मुंबई हाई कोर्ट में इन्वैस्टर्स ग्रिवांसेज़ फोरम के अध्यक्ष के नाते हमने पब्लिक इंटरैस्ट लिटिगेशन फाइल की थी। मैं उस फोरम का अध्यक्ष हूं। मुंबई ही नहीं, पूरे देश भर के इन्वैस्टरों ने हमें जो कम्प्लेंटस भेजी थीं, इन दोनों केसेज़ में मुंबई हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, वह छोटे इन्वैस्टर्स के फेवर में दिया है। उसी के तत्वावधान में ये दोनों बिल यहां पर लाये गये हैं।

">

">मैं इन दोनों बिलों का स्वागत करता हूं। काश! ये दोनों बिल चार-पांच वर्ष पहले आए होते, तो देश भर में, सदन को जानकर आश्चर्य होगा, लगभग २२ लाख छोटे इन्वैस्टर्स के १२ हजार करोड़ रुपए डूब नहीं जाते। इस विषय को इन्वैस्टर्स ग्रिवैंसेस के अध्यक्ष के नाते पूर्व प्रधान मंत्री, माननीय देवेगौडा जी और माननीय गुजराल जी से सामने हमने चर्चा की। अब ये दोनों बिल सदन में प्रस्तुत हुए हैं, मैं इनका स्वागत करता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी को मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं और कुछ कारनामों के बारे में जानकारी देना चाहता हूं।

">

">सदन में अभी पंजाब के बारे में बात चल रही थी। पंजाब की एक कम्पनी गोल्डन फारैस्ट कम्पनी है। सदन को यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस कम्पनी ने छोटे-छोटे इन्वैस्टर्स से ११०० करोड़ रुपए वसूल किए, जबकि इस कम्पनी का पेड-अप-इक्विटी-कैपिटल ११ लाख रुपए है और इसके शेयर-होल्डर्स ग्यारह हैं। यह एक फैमिलि कम्पनी है। अभी माननीय सदस्य ने ठीक कहा, छोटे-छोटे इन्वैस्टर्स और किसानों के सामने धूल फैंक दी गई है। उनके साथ चीटिंग हुई है, फ्राड हुआ है। आपने टीवी में अनुभव-प्लानटेशन की ओर से एक विज्ञापन देखा होगा। उसमें एक पौधा दिखाया गया और बाजू में नन्ही-मुन्नी बिटिया का चित्र दिखाया गया और कहा गया कि आपकी बिटिया धीरे-धीरे बड़ी होगी और २१ साल के बाद उसकी शादी-ब्याह के लिए पैसा कहां से आएगा? आइए, अनुभव-प्लानटेशन में पैसा लगाइए, दस हजार रुपए दे दीजिए और २१

साल के बाद २१ लाख रुपए प्लानटेशन कम्पनी उनको देगी। ऐसी एक नहीं अनेक कम्पनियां है, जिन्होंने २१ साल के बाद के चैक्स एडवांस में ले रखे हैं। वास्तविकता यह है कि छः महीने के बाद चैक्स नहीं चलते हैं, लेकिन चैक्स इशू किए गए। मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत इन दोनों बिलों का समर्थन करता हूं, लेकिन इस प्रकार की कम्पनियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है। दिन-दहाड़े इतने पैसे की लूट हुई है, चोर चला गया और हम अभी दरवाजे पर ताला मारने के लिए निकले हैं। हाई कोर्ट ने जानकारी दी,

">

">SEBI
">

">ने जानकारी दी और गत सप्ताह हमने अधिकारियों से चर्चा की। बताया गया कि

">

">SEBI

के पास २६ प्लानटेशन कम्पनियां रजिस्टर्ड हैं, जिन्होंने २५०० करोड़ रुपया इकट्ठा किया है। हमने रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज से प्रश्न किया एग्रीकल्चरल प्लानटेशन से संबंधित टोटल कम्पनियां कितनी हैं? जवाब मिला कि ३८०० कम्पनियां हैं। फिर हमनें

SEBI

से कहा कि इनके अते-पते बताइए। इनमें से टी-कम्पनियां थोड़ी ही होंगी, लेकिन तीन हजार से ज्यादा प्लानटेशन कम्पनियां हैं, जो लोगों के पैसे इक्ट्ठे करके रफूचक्कर हो गई हैं।

SEBI

ने बताया कि हमने अखबार में एडवर्टिजमेंट दे दिया है कि ऐसी जितनी भी कम्पनियां हैं, वे हमारे पास एप्लीकेशन दें, जिन्होंने २५०० करोड़ रुपया इकट्ठा किया है। इस बारे में मुम्बई हाईकोर्ट और सरकार ने उस समय इन्स्ट्रकशन दी कि इन सब कम्पनियों की रेटिंग कराई जाए।

SEBI

ने इस बारे में गाई किया। रेटिंग में नं.५ वर्सट होता है और ३८ कम्पनियों में से ३७ कम्पनियों को रेटिंग नं.५ दिया गया। इसका मतलब यह कि ये कम्पनियां या तो डूब गई हैं और कल डूबने वाली हैं। मध्य प्रदेश में नवभारत ग्रुप की एक कम्पनी है नवभारत प्लानटेशन कम्पनी।

SEBI

से नं.५ का रेटिंग मिल गया है और उस कम्पनी ने एक साल में आठ करोड़ रुपए इकट्ठे किए और ये पैसे कहां लगाए गए, वह मैं सदन को बताना चाहता हूं। एनडी एग्रो कम्पनी ने १.७५ करोड़ रुपए का एरोप्लेन लिया, ७० लाख रुपए मोटर-गाड़ियों पर खर्च किए और ९० लाख रुपए का बंगला खरीदा। यह प्लानटेशन कम्पनी का कमाल है। हमने प्रधान मंत्री जी से प्रार्थना की कि लोगों के पैसे डूब रहे हैं। २२ लाख छोटे लोगों के १२ हजार करोड़ रुपए डूब रहे हैं, क्या इन पैसों को वापस लेने की कोई व्यवस्था है। अब इन प्रावधानों को सुनकर छोटे-छोटे इन्वैस्टर्स दुआ देंगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि इन पैसों को वसूल करने के लिए कोई एक्शन प्लान नहीं है।

मैं चाहता हूं कि यह बिल के साथ ही एनाउन्स किया जाए। मैं एक कम्पनी के बारे में मराठी भाषा में बताऊंगा कि किस प्रकार विज्ञापन दिया गया। मराठी में सामर्थय एग्रोबोंड कम्पनी ने लिखा था - १५ हजार रुपया भरो, मई तुमसी, दूध आनीगारू, मलाई तुम्हीं खा यानि १५ हजार रुपए भरो, हम आपके नाम से एक भैंस लेंगे, दूध हम निकालेंगे और मलाई आप खायेंगे। साथ में कमिटमेंट यह थी कि १५ हजार रुपए तीन साल के बाद आपको वापस मिल जायेंगे और साथ में हर साल दूध से जो मलाई निकलेगी तथा उससे जो १५ हजार रुपए की इनकम होगी, वह भी आपको दी जाएगी। आज इस कम्पनी का पता नहीं है कि वह कहां है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, लेकिन साथ-ही-साथ मैं मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज से ऐसी कम्पनियों की लिस्ट मंगा कर चैकिंग करवायें। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, हाई कोर्ट की डायरैक्टिव के अन्तर्गत

SEBI

ने गाइडलाइन्स इशू कीं और कहा गया कि रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दें।

Unless and until you get a licence or a registration certificate from the SEBI, you cannot collect any deposit.

इस काम के लिए ६० दिन का समय निश्चित किया गया, लेकिन आज ३५ दिन हो गए हैं और एक भी एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं आई है। डैरिवेटिव की व्याख्या करने के लिए

SEBI

को अधिकार तो दे रहे हैं, लेकिन उससे एकान्टेबिलिटी भी पूछिए। मैं सदन को बताना चाहता हूं, हम लोग हाई कोर्ट में जाने से पहले

SEBI

के पास गए थे और फिर डिमांस्ट्रेशन भी किया था तथा हजारों इन्वैस्टर्स रास्ते पर उतर आए थे। हमें

SEBI

और रिजर्व बैंक द्वारा उत्तर दिया गया कि यह मामला हमारे अन्तर्गत नहीं है, हम क्या करें। आप लोगों ने पैसे लगाए, डूब गए, जाओ मजा करो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं,

There shoule be some clause for accountability.

मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूं। लिब्रा प्लान्टेशन कम्पनी ने २४ करोड़ रुपए इकट्ठे किए और उसके बाद लोगों को पैसे देने बन्द कर दिए। उस कम्पनी के मैनेजिंग डायरैक्टर के एक रिलेटिव को तीन लाख रुपया लेना था, उसका चैक बाउन्स हो गया। मैनेजिंग डायरैक्टर ने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है और कम्पनी को लिक्विडेशन में डाल दिया और उसको आर्डर मिल गया। इस प्रकार लोगों का २४ करोड़ रुपया डूब गया। आप जानते हैं कि लिक्विडेशन का मामला सालों चलता है। इसलिए मैं आपसे यह भी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जिस कम्पनी के एसैटस और प्रापर्टीज हैं, क्या आप उस पर कब्जा लेने वाले हैं? क्या उनके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन लिया जाएगा?

SEBI

ने अधिकार तो मांग लिया और वित्त विभाग ने अधिकार देने का प्रावधान कर दिया, लेकिन इनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया। इसलिए मेरी वित्त मंत्री जी से प्रार्थना है कि वे अगले सैशन में इसमें भी संशोधन लेकर आयें कि इस प्रकार के इन्वैस्टर्स को प्रोटैक्ट किया जाएगा, डायरैक्टर से पैसे वापस लिए जायेंगे और उनके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन लिया जाएगा।

मैं एक बात और आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। इसको भी डैफिनिशन में शामिल नहीं किया गया है। टाइम शेयर रिसोर्ट के नाम पर लोगों से लाखों रूपए वसूल किए जाते हैं। कहा जाता है, एक लाख रुपया दे दीजिए और २५ साल में आप हमारे किसी भी रिसोर्ट में हर साल चार-पांच दिन घूमकर आ सकते हैं। वास्तविकता यह है कि दो साल के बाद उस रिसोर्ट का भी पता नहीं है।

डायरेक्टर बोलते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है। यह जो दूसरा बिल जोड़ा है उसके बारे में भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पहला यह है कि जो आप सेबी की एपिलेट अथोरिटी के अधिकार बढ़ाना चाहते हैं,

It is good. I really welcome it and appreciate it.

हिन्दुस्तान लीवर कम्पनी ने इनसाइडर ट्रेडिंग की थी और इसके लिए सेबी ने उन पर जुर्माना किया। तब एपिलेट अथोरिटी थी, उन्होंने सेबी के अगेंस्ट आर्डर दिया।

I welcome this Tribunal.

इसमें आपने एक ही मेम्बर रखा है और वह मेम्बर ज्वाइंट सेक्रेट्री से थोड़ा सा जूनियर लेवल का है, यह मल्टी मेम्बर क्यों नहीं होना चाहिए। इनकम टैक्स में, एक्साइज में ट्रिब्यूनल है। उसमें एक से ज्यादा सदस्य हैं, यानि दो मेम्बर होने चाहिए और उनकी कंटेगरी थोड़ी सीनियर होनी चाहिए, क्योंकि जो सेबी के चेयरमैन होते हैं वे डिप्टी गवर्नर रिजर्व बैंक या उस लेवल के होते हैं। सेबी के बोर्ड मेम्बर्स सैक्रेट्री लेवल के आफिसर होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर के आर्डर की अपील स्टेट मिनिस्टर सुन नहीं सकता, उसी प्रकार से सैक्रेट्री द्वारा लिए हुए निर्णय के सामने अपील सुनने का अधिकार ज्वाइंट सैक्रेट्री को नहीं हो सकता इसलिए उसके बारे में भी आप करेक्शन करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। दूसरी बात यह है कि हिन्दुस्तान लीवर ने जो पेटीशन फाइल की थी, उसमें मुबंई हाईकोर्ट में यह चैलेंज किया कि सेबी ने जो आर्डर दिया उसको एपिलेट अथोरिटी ने सेट असाइड किया -

The SEBI cannot go to the court.

इसके लिए इनवेस्टर्स को जाना पड़ा था, उसमें भी उच्च न्यायालय ने हमारी बाजु चुनी है। इसमें आपने जो प्रावधान किया है, आपने सैक्शन प्वाइंट पांच दिखाया है, सैक्शन २२एफ है। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो पेज नम्बर तीन में २२एफ-क्लाज़ में लिखा है-

`any person aggrieved by the decision of the Security Appellate Tribunal".

पेज नम्बर तीन में जो सैकिंड अमेंडमेंट एक्ट है उसमें २२एफ में 'एनी परसन' के बदले 'एनी एग्रीव्ड पार्टी' होनी चाहिए, क्योंकि हिन्दुस्तान लीवर ने कोर्ट में यही आर्गुमेंट किए हैं कि सेबी गवर्नमेंट अथोरिटी है और गवर्नमेंट बॉडी फाइनेंस मिनिस्ट्री के सामने किस प्रकार से अपील में जा सकती है। अगर सेबी ने जजमेंट दिया है तो वह ऑनेस्ट जजमेंट है।

If you are treating the SEBI as a separate entity,

फिर यहां इस प्रकार से अमेंडमेंट करना चाहिए 'एनी परसन' के बदले में 'एनी एग्रीव्ड पार्टी।'

मैं यह भी प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस विषय को लेकर जो वेनिशिंग कम्पनीज़ हैं, जो मार्केट में सेफ एक्सचेंज में से पैसा लेकर गायब हो जाता है। लगभग ३५०० ऐसी कम्पनियां हैं जो १०,००० करोड़ रुपए से ज्यादा रुपए इक्ट्ठे करके गायब हो गई हैं। कम्पनी का कुछ पता नहीं है, आफिस बंद हो गए हैं। ये दो-तीन-पांच करोड़ रुपए लेकर भाग गई हैं इसलिए इनके ऊपर भी आज नहीं तो फिर कभी ध्यान देना चाहिए। आज सुबह मैंने एक अन्य विषय आपके सामने रखा था 'इंडप्रकाश म्युचुअल फंड स्कीम का। ' सेबी को अधिक अधिकार चाहिए लेकिन सेबी के अधिकार का कोई उपयोग करता है या नहीं और सेबी आर्डर देती है तो उसका इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट के नेशनलाइज़ बैंक भी करते हैं। उसके लिए आप एक्ट में क्या प्रोविजन करेंगे। इंडियन बैंक ने म्युचुअल फंड निकाला, उन्होंने १९९२ में मार्केट में फ्लॉट किया और कहा कि इंडियन बैंक के म्युचुअल फंड इंडप्रकाश की दस रुपए की एक यूनिट का सात साल के बाद ३० नवम्बर, १९९९ को ३० रुपए मिलेगा। आज सात साल के बाद इंडियन बैंक ने कह दिया कि हमें लॉस हुआ है आपको ३० रुपए के बदले सिर्फ १७ रुपए मिलेंगे।

The net loss would be Rs. 70 crore which belong to the small investors.

मैं यह जानना चाहूंगा कि १९९२-९३-९४-९५-९६ को इनवेस्टमेंट किस प्रकार से हुआ। इंडियन बैंक म्युचुअल फंड ने पैसा कहां डाला, बाकी म्युचुअल फंड ने प्रोफिट किया। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि १९९५-९६ में कैनरा बैंक और स्टेट बैंक का इसी प्रकार म्युचुअल फंड की स्कीम में लॉस हुआ था लेकिन गवर्नमेंट पैसा देने लगी। यह जो इंडियन बैंक की म्युचुअल फंड स्कीम है उसका भी पैसा दिया जाए। आज मैं आपके सामने एक अन्य विषय उपस्थित करना चाहूंगा, सेबी क्या करती है, रेगुलेटरी बॉडीज़, रिजर्व बैंक, फाइनेंस मिनिस्ट्री और रजिस्टरार ऑफ कम्पनीज़ क्या करती हैं। आपकी जानकारी के लिए प्लांटेशन कम्पनियों के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए क्या प्रोसिज़र है- नथिंग।

दो सौ या पांच सौ रुपया उसकी फीस है।

You can get a registration certificate across the counter.

वे उसे अखबारों में छपवा देते हैं, ब्रोशर में डाल देते हैं कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने हमको रजिस्ट्रेशन दे दिया है। रजिस्ट्रेशन लेने के लिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड कराने के लिए आपको कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको राशन कार्ड लेना हो तो बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट, पहले जहां रहते थे उसका प्रूफ और फोटो चाहिए। लेकिन प्लांटेशन के नाम पर कंपनी रजिस्टर्ड कराने के लिए और रजिस्टर्ड कराकर पांच से पन्द्रह करोड़

इकट्ठा करने के लिए आपको किसी प्रूफ की आवश्यकता नहीं है।

मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। मैं सेबी से सवाल पूछना चाहता हूं कि सेबी ने दस दिन पहले किर्लोस्कर को आदेश दिया कि तुम ईंडियन बैंक म्यूचुअल फंड का ३० रुपया दो। इसके बारे में क्या कार्रवाई होगी, किसके सामने कार्रवाई होगी, कुछ पता नहीं। दूसरी किर्लोस्कर ग्रूप की किर्लोस्कर फाइनेंस एंड लीजिंग कंपनी है। इन्होंने छोटे-छोटे ६० हजार इन्वैस्टर्स के पास से १०५ करोड़ रुपया इकट्ठा किया और जनवरी १९९९ से लोगों का रिपेमेंट बंद कर दिया। फिर अप्रैल १९९९ से ब्याज देना बंद कर दिया। मई १९९९ से उन्होंने अनेक जगह कार्यालय खोले थे वे भी बंद कर दिये और जब हमने उनको अप्रोच किया तो बोले कि हमने कंपनी बेच दी है। हमने मई, जून और जुलाई में शिकायत की और आश्चर्य की बात है कि जुलाई महीने में १०५ करोड़ रुपया जिस कंपनी ने इकट्ठा किया वह चम्पावत फैमली करके अहमदाबाद का कोई परिवार है जिसको किर्लोस्कर ग्रूप ने कंपनी बेच दी और उसकी घोषणा तब हुई जब हमने उनके सामने आंदोलन किया। अभी दस दिन पहले उसकी घोषणा हुई है। वह चंपावत फैमली क्या है, कुछ भी नहीं है, कोई बैक-ग्राऊंड नहीं है, एन.बी.एस.सी. रनिंग करने का कोई अनुभव नहीं है। आज मुझे पता चला कि चम्पावत फैमली ने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को सूचित कर दिया कि किर्लोस्कर के पूना और ग्वालियर में जो ऑफिस हैं वह हम बंद कर रहे हैं और अहमदाबाद में शिफ्ट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कंपनी का नाम बदलने की घोषणा भी कर दी है । इन्वैस्टर कहां जाएगा? उस १०५ करोड़ रुपये का क्या हुआ? क्या वित्त मंत्री जी इस विषय में ध्यान देंगे। मैं कहना चाहूंगा कि कंपनी के बारे में मंत्रालय को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज और दूसरे मंत्रालयों के साथ मिलकर एक स्टॉग एक्शन ग्रूप की रचना करनी चाहिए। फिर कभी मैं जानकारी दूंगा कि इन्वैस्टर्स के १९९२ से १९९९ तक, हर्षद मेहता से लेकर सी.आर. भंसाली तक तथा एन.बी.एस.सी से लेकर एक लाख पचास हजार करोड़ रुपया फंस गया है या डूब गया है। यह कोई छोटी रकम नहीं है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि कुल मिलाकर ३८६ कंपनीज ने रिजर्व बैंक के पास में जनवरी १९९७ तक रजिस्ट्रेशन करवाया। तीन साल बीत गये लेकिन ३८ हजार में से रिजर्व बैंक ने सिर्फ नौ हजार एप्लीकेशन्स वैरीफाई की हैं। क्या रिजर्व बैंक से कोई जवाब पूछेगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि माननीय यशवंत सिन्हा जी से हम जब-जब मिले, उन्होंने छोटे-छोटे इन्वैस्टर्स का बहुत समर्थन किया है। एक के बात एक कानून वे लेकर आ रहे हैं। इसलिए सरकार का मैं अभिनंदन करता हूं कि वे जो कदम उठा रहे हैं छोटे इन्वैस्टर्स के लिए उठा रहे हैं। मैं इन दोनों बिलों का समर्थन करता हूं।

">

SHRI E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN (SIVAGANGA): Sir, in this Bill we find that the Government is having ad hoc policy of amending the Acts on the command of some other agencies. I think the international agencies are compelling the Government and to satisfy the foreign investors, small amendments are being made. But at the same time the common man is not protected. They are exposed. I would like to suggest an amendment to Section 11 where new definition is given and collective investment scheme is mentioned. The collective investment scheme is having exemption also under Clause 3 notwithstanding anything contained in Sub-section 2 any scheme or arrangement made or offered by a cooperative society registered under the Cooperative Societies Act, etc.

">Actually bodies registered under the Cooperative Societies Act cannot be controlled by the Securities and Exchange Board of India. In the same way, non-banking financial companies are shown in another clause, contract of insurance is shown, then providing for any Scheme, Pension Scheme or the Insurance Scheme is also shown. The fifth point says that deposits are accepted under section 58A of the Companies Act, 1956. The sixth point says that deposits are accepted by a company declared as a Nidhi or a mutual benefit society under section 620A of the Companies Act, 1956. The seventh point talks of Chit business. The eighth point is a broad one under which contributions made are in the nature of subscription to a mutual fund. All these shall not be a collective investment scheme.

">Why this type of exemptions are given? What is the need of this? Seven clauses are shown as exempted clauses. Why? Is there any protection given for this type of people who are cheating the mass? In Tamil Nadu you can see each and every day many Nidhis and mutual funds closing. Hundreds of people who are having an earning of one hundred or two hundred rupees are putting their money in the mutual funds. But they are not protected. They are just going here and there. They are going to the police station, but they are told that a new police officer is being deputed and they can have their grievance settled. No court appreciates this. Only IPC clause 420 is there to initiate proceedings against them. People are aggrieved because of this type of definition of Collective Investment Scheme. Crores of people are exploited by these schemes.

">How are these people exempted? Unnecessarily they are included as exempted class. There is no need for this. That means there is some other meaning given for these bodies like `you are protected, you can go on like this". There should be some law to protect the mass who are ignorant, who are evaded by the market, who are carried away by advertisements. Every day we see so many advertisements like, if you put one hundred rupees, you will get one thousand rupees within ten years, you will get ten thousand rupees, you will get a pension of Rs.250 every month. There is no protection for these people. But there is a protection given by unnecessarily including an amendment. Therefore, I submit that the hon. Finance Minister may exclude this clause, so that there is no necessity at all to bring this provision into this particular section.

">The very important thing on which this particular amendment is made is only to make the market available for the ordinary people. But the SEBI has not protected the ordinary people. Only ten shares are purchased by monthly salaried people, but they are not protected. They are sending petitions, telegrams, notices and criminal proceedings are also started. Even then companies are not giving them money. They are just dragging on asking them to wait for one year or six months. The SEBI is not listening to them. Therefore, there should be some summary proceedings in such cases just like a small cause court is available for trying offences not exceeding a certain amount, say, one thousand rupees to ten thousand rupees. There is no need for any proceedings. Straightway there can be a decree and there can be execution. In that way there should be a procedure. There should be such a clause by which small investors are protected by summary proceedings. There should not be any waiting for appeal or revision. This point should be taken into consideration.
Regarding the compensation with interest provision, there may not be an amendment. But actually compensation with interest should be the focussing point for investors. There should not be any criminal proceedings, one year punishment or paying back the money. That is not sufficient. There should be compensation. A person who is evaded by a company, who is not given back his money immediately, should be paid the compensation with interest. That type of provision should be there.

Whenever the Government brings up such amendments, there should be a comprehensive and total outlook of the whole issue. We are now having electronic transfer of shares also. Therefore, when there is an amendment, there should be a total outlook, the entirety should be taken into account and a comprehensive Bill should be brought which is modern as we expect, as the Western countries expect or any other foreign investor expects.

There should be a total comprehensive Act. There should not be tailoring and stitching here and there which give a beggary look of the Act also. The people cannot accept this type of amendments.

Regarding the second amendment, the hon. Finance Minister said that we are delegating the powers. Actually, delegation is towards

the Government Secretaries who are sitting as Members in the SEBI. There should a provision that it should be occupied by a judicial member. A sitting judge who is not at the command of the Government should be a Member of the SEBI and the Appellate Authority should have a person who is a sitting Member in the Bench. Nowadays, this type of tribunals is occupied by retired people who are just hankering for that particular post. When a Secretary is going to retire, he is seeking for some other appointment. There are ten lakh lawyers on the road. There are many persons who are experts in company law. We should create a separate body which is specialised in company law. After five or ten years of practice, they should be appointed in SEBI or the Appellate Tribunal. A person who is practising law and also specialising in a particular field, especially in company law, should be appointed. Masters degrees are coming up. They are doing research also. Such people are not accommodated. Only the Secretary who has come as an IAS officer is again appointed here. He is omnipotent and knows everything about the trend of law. Many writ petitions are coming and that is why, the courts are interfering in each and every aspect. Therefore, I request that lawyers should be accommodated in SEBI and also in bodies like the Appellate Tribunals which are having this type of arbitrated appointments. There should be a proper position for a practising lawyer who has got expert knowledge in the field.

Finally, I would like to submit that there are many summer resorts and land dealings. I do not want to mention any particular company. Certain companies are coming forward to purchase lands from poor agriculturists for small amounts and are selling them at large bidding. This type of a thing should be taken into consideration. Actually, they are not giving or showing any correct amounts. They are transferring it as black money. This type of transferring lands in the name of the company and getting protection through SEBI and other things should be inquired into properly. Purchasing of lands and summer resorts, giving one month''s rotation, taking away the money and declaring one fine morning that the Managing Director has escaped and his property is attached and such things should be restricted. The aggressive nature of certain people is to get the Companies Act into their hands. They exploit poor people considering that the poor people could not understand what is free market. They are afraid that free market is only exploitation and is only for blackmarketeers. These types of things should be taken into consideration by the hon. Finance Minister. It should be clearly shown to the public that we will be adamant in this field and see that these things will not be repeated.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): Sir, I oppose these two Acts. These Acts were examined by the Standing Committee on Finance in the Twelfth Lok Sabha. At that time, I had pointed out certain irregularities which had crept into the Act. I had difference of opinion about the overriding provision that is given. The words, `Notwithstanding anything contained in any other Act, contracts in derivatives as per this Act shall be legal and valid" have been included. How far will it stand the judicial scrutiny is a matter which has to be seen. You cannot include everything in this Act. Moreover, you have not defined the derivative as such. The Act only tells that derivative includes such and such things without straightaway telling what is exactly the derivative. We were dealing with money transactions which were defined within the purview of the law. But here is a matter where were are dealing with especially collective investments.

">Now, Mr. Minister, when we take the definition of "collective investment", we will come to very wrong conclusions. The term "collective investment scheme" means any scheme or arrangement which satisfies the "Any scheme or arrangement which satisfies the conditions referred to in sub-section (2) shall be a collective investment scheme."

">What is this collective investment scheme? It will not come within the purview of the proposed Act. The cooperative societies are also conducting and transacting business. They are also collecting money. But they are excluded the Bill which says:

">"Notwithstanding anything contained in section (2), the following transactions or the following materials will not come within the purview of this section."

">In that, you have said: "made or offered by a cooperative society registered under the Cooperative Societies Act, 1912..." The point is that is not a collective investment scheme as per the present provision. Then, the Insurance Act is also excluded. You have also excluded the Provident Fund Miscellaneous Provisions Act, 1952. So, all these were excluded. Then, what is exactly the meaning of "collective investment?" By "collective investment", we mean without any mutual understanding or without any definition or undergoing any bye-law. What you say is "the contributions, or payments made by investors, by whatever name called, are pooled and utilized solely for the purposes of the scheme or arrangement." The important point is that individuals can join together to make any arrangement and make any proposal. Under what provision of law is it done? How can you define those arrangements and collective investment without any a definition and bringing in all those acts within the purview of the law? I do not think it will stand the judicial scrutiny. So, Section 11A as such and and Section 11 sub-clause (3) are contradictory in many ways. That is why, we oppose this Bill.

">Then, I come to the second provision. As per the existing Act, the Government can give directions. The Government can frame rules and the Government can even entertain appeals from the Appellate Tribunals. Now, those powers are taken away and given to a new body, the Appellate Tribunal. The Government is having no power. As far as this provision is concerned, the Government is retaining no power to give direction in matters concerning money transactions. This is a matter which I cannot agree to. So, my opposition is mainly because of this. The Government should retain some powers to control these bodies.

">Sir, they say that they are entering into an area where there is privatisation and tax research. In that case, if you entrust the entire thing to a body constituted under the provisions of this Bill without reserving any power for the Government, it looks absurd and, at the same time, it is dangerous to all. That is the main reason for which I oppose this Bill.

">Then, you have made an amendment whereby the powers of the courts are taken away through this proposed Act. That is evident. Section 22E says:

">"No civil court shall have jurisdiction to entertain any suit or proceeding in respect of any matter which a Securities Appellate Tribunal is empowered by or under this Act to determine and no injunction shall be granted by any court or other authority..."

">Why should it be so? Whenever there is some irregularity in a money transaction, why should the common citizen be asked to go to the High Court? Let him take the matter to the civil court. Why should you debar the citizens? Also, in the High Courts, petitions or cases are accumulating day by day. Our judicial system itself is facing a crisis. At this time, you are making a statute by which further

accumulation will be the result.

">And there will be no end of the matter. So, I would like to ask the Government as to why the courts are debarred from entertaining matters under this Act. What is the necessity? Let the civil court decide. Why should you ask the citizen to go to the High Court to file a petition in such matters? So, I would urge upon the Government to do away with this provision. Whenever there is any grievance, let the court decide it. After all, when it is a money matter, why should they refuse justice at the lower level? So, I oppose this Bill on that ground also.

">Moreover, even the appeal to the High Court is also there only in a limited sense, not in the correct perspective. So, the Bill itself is defective and it cannot be supported. At the same time, in future we will have to face very serious irregularities in money matters. So, I oppose these two Bills on these grounds.

">Sir, this is a very important legislation. Unfortunately, we were not given sufficient time to discuss this legislation in the House. Hereafter, I would request that we should be given more time to discuss such legislations concerning money matters. So, I would urge upon the Speaker to give us more time in such cases, in future.

">With these words, I conclude.

">MR. DEPUTY-SPEAKER: Dr. Raghuvansh Prasad Singh - Not present.

">Now, Shri Priya Ranjan Dasmunshi.

">SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSHI (RAIGANJ): Sir, I am not speaking.

">MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Rupchand Pal.

SHRI RUPCHAND PAL (HOOGLY): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I rise to oppose both the Bills. My first objection is based on the reality and I would like to know whether the capital market in our country is equipped enough to undertake derivatives. I had occasions to interact with very important people related to the capital market and they are of the opinion that till today, the situation with regard to the capital market is not such as may warrant permitting trading in derivatives. Once, I had an occasion to ask the Head of the S.E.B.I. whether he has enough teeth to control the unscrupulous operators in the capital market. His reply was that he has no such teeth and he was toothless. We have witnessed this kind of a situation not only during the days of the securities" scam but also in the subsequent days. Even very recently, the well-known operator, who was operating during the days of the securities" scam, was operating and three very well-known companies like Starlight, Videocon, B.P.L., etc., are there in the market. We had asked the Head of the S.E.B.I. as to what steps he has taken to stop the unscrupulous operators who had been rigging the market in various ways. The reply was that as a regulator, he had hardly any strength in his apparatus, both physical as well as legal, to control these operators.

">Sir, we have, of course, seen the very distressing spectacle of more than 5,000 companies literally vanishing in the air after taking the small investors" money. Here, it is being said that this is brought forward in order to protect the small investors.

">16.00 hrs.

">Since the days of securities scam, we have been trying again and again to draw the attention of the Government to what is happening in the capital market. We were told at a point of time by the great leader of reforms in our country, Dr. Manmohan Singh: "I cannot lose my sleep over what is happening in the capital market." A Joint Committee was set up. They had gone into the details of what had happened. Till today, there is only one bank. I can give you any number of instances. Rupees seven hundred crore are due from a particular foreign bank. They have bluntly stated, "We are not ready to pay it." Is the RBI having enough strength to control the situation? No. They cannot control the foreign banks. SEBI cannot control the unscrupulous operations. In such a situation, they are going to start shedding in derivatives.

">There is a reference to the plantation companies" investment schemes and all these things. At one point, they are quoting: "Because of the sagging capital market, derivatives will be necessary." At another time, the Minister said, "We have already matured enough to undertake derivatives." These are both contradictory. At that point of time, when the Standing Committee have been suggesting all these things, they have been referring to the capital market as a sagging market. Now, what is happening? It has never happened in the world that even though a near-war situation has developed after the Kargil war, we witnessed that even in such a situation, the sensex was going up and up and up. It has never happened in the world. Out of several issues, you would find only five. It is related to information technology, pharmaceutical company, certain banks and a fast-moving consumer goods concern - Hindustan Lever. Five or six companies are there. Take the examples of steel sector, oil sector and many more.

">Of course, in the public sector, there has been an encouraging response. But in respect of most other well-known reputed companies, who several times wanted to have access to the foreign market for capital mobilisation, they have also been failing miserably. That is the situation in the capital market. The sensex is artificial. I can tell you that on any day, it is just like a balloon. It will be pinpricked. We shall be nowhere. What are these foreign institutional investors doing?

">After experience of the East Asian countries, after the experience of the Asian tigers, we have not learnt anything that they are indulging in unscrupulous speculation. Whenever we need money, they are withdrawing it. We are playing to the tune of the foreign investors.

">If these things are allowed in such a manner, a point will come when we shall be in a situation when not only our currency but our whole economy will also be in jeopardy. I have repeatedly been asking one question that you are globalising. We are speaking in terms of global standards and many more things. We have been on line. We do have a national stock exchange. Even after that, can the Minister of Finance assure us that there is enough transparency in the operations? No. They have been encouraged to cover up. The SEBI is daily giving opportunities to unscrupulous operators to have their own way.

">There is hardly any transparency, leave alone global standard. By any standard, there is no transparency at all and the unscrupulous operators are free to loot the public money to deprive the small investors of their valuable savings.

">I am objecting these two Bills. I am just clubbing together the arguments also as these two Bills have been clubbed together.

">Now I come to plantation companies. Till today they have been ruining the savings of the common people and the small investors. This Government and the previous Congress Government have been just on-lookers. I charge this Government also that they are in the full knowledge of what is happening but they have been hand in glove with these unscrupulous operators, those who are looting money. I can cite a number of examples. I can give you the names of important people who are associated with it. Till today there is a deep association, close association of very important people belonging to that side with these unscrupulous operators. I can name them. I can give any number of instances as to what is happening. Now what should they do? What has happened? You were there. I am talking about the securities scam. ... (Interruptions)

">SHRI SOMNATH CHATTERJEE (BOLPUR): Who will investigate? ... (Interruptions)

">SHRI RUPCHAND PAL : The Joint Parliamentary Committee gave certain recommendations. India is unfortunately one of the most corrupt countries considered by the Transparency International. ... (Interruptions)

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): Why are you quoting the imperialist organisation? ... (Interruptions)

">SHRI RUPCHAND PAL : That is okay. They are your friends. ... (Interruptions)

">DR. NITISH SENGUPTA : China is the most corrupt country. ... (Interruptions)

">SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Would you object to our quoting the World Bank report also? ... (Interruptions)

">SHRI RUPCHAND PAL : We find that corruption is rewarded. ... (Interruptions)

">SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Dr. Sengupta is very happy and proud that China is the most corrupt country and we are second. What are you talking? ... (Interruptions)

">MR. DEPUTY-SPEAKER: Order please.

">SHRI RUPCHAND PAL : We can have a discussion on that. ... (Interruptions)

">MR. DEPUTY-SPEAKER: Let there be a discussion on these two Bills now.

">SHRI RUPCHAND PAL : Now, corruption is taking place in respect of telecom and in respect of sugar. What has happened very recently can be taken up on that occasion only. I am now confining only to these two Bills.

">MR. DEPUTY-SPEAKER: That is exactly I want you to do. ... (Interruptions)

">SHRI RUPCHAND PAL : The Joint Parliamentary Committee on Securities Scam was chaired by Shri Ram Niwas Mirdha, as far as I remember. He was the Chairman of that Committee and unanimous report had been given to the Government saying that these were the culprits, who had been ruining the capital market, they had done this and that; these were the foreign banks, nationalised banks, the financial institutions and these were the culprits. After a long time, we found that one or two people were picked up and apparently punished. Some huge claim was made in respect of some individual that his income tax was due more than Rs.5,000 crore. But the same person was called to deliver his observation, deliver his speech about the Budget on the Television, Government-controlled Television. Both the people from this side and that side were friendly. On that side, when Dr. Manmohan Singh was sitting, he refused to lose his sleep over the happenings in the capital market. When you are sitting now, you are bringing these derivatives. ... (Interruptions)

">SHRI SOMNATH CHATTERJEE : They are two sides of the same coin. ... (Interruptions)

">SHRI RUPCHAND PAL : Yes, they are two sides of the same coin.
This Government should reconsider these Bills. These are very very dangerous piece of legislation. You are presenting on a platter the national savings, the savings of the poor investors and they are going to be virtually looted. You are handing over whatever little authority that the Government of India has now to some appellate body. We know what is going to be this appellate body.

We are not against reforms if reforms are meant to construct something good for the benefit of the common people and for the benefit of the poor. Today we find that in the WTO, the World Bank President has come out with strong words that reforms cannot succeed without just rendering any benefit to the poor people of any country. It has come out. Our former Prime Minister, Shri Narasimha Rao ... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude.

SHRI RUPCHAND PAL : Sir, I am concluding. I am trying to become very relevant to the Bill as much as possible. Our former Prime Minister, Shri Narasimha Rao has made certain observations about three or four days back. I think, it might have been noticed by many people. He has said, "in 1991 when we started the reforms process, we could not imagine that this is going to be the outcome. We were thinking that after liberalisation, people will come and invest in infrastructure and that people will come and take care of the social structure". He has said all these points. It will never be done and it will never happen. After eight years, the leader himself, who had initiated reforms, is lamenting about it. It may be for political reasons or because of some differences, I do not know. But he has said that reforms have failed to achieve the desired goal.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : That is a fact.

SHRI RUPCHAND PAL : We are having this admission from the World Bank and from the eminent economist Shri Paul Krugman, the greatest advocates of market economy. He has turned around and has taken a totally opposite stand these days. So, I am saying that when you are considering the capital market, you should have to look into the fact that there is enough transparency today. Even after the on-line, even after the National Stock Exchange that has come into operation, derivatives can fit only when you can have a mature and transparent market. There must be able regulators. S.E.B.I. is not ably regulated today. It is toothless and in such a situation, it will play havoc with our small investors.

So, I oppose the Bill and request the hon. Minister of Finance to withdraw the Bill. After due consideration, he can bring it again to serve the nation and not to deprive the national savings from the poor investors.

">

"वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सारे सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लेकर इसे इतना रोचक बनाया। उससे भी अधिक मैं उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लेने से इंकार किया और सदन का समय बचाया।

... (व्यवधान)
">

">SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : I wanted to speak very much, but I understood that my colleagues have already done the job. That is why, I did not want to repeat the same thing. I have no other bad intention.

">SHRI YASHWANT SINHA: I am expressing my gratitude to you.

"उपाध्यक्ष महोदय, जो दो बिल मैंने सदन के सामने पेश किए, उसमें तीन मुख्य मुद्दे हैं। जैसा मैंने अपने प्रारंभिक भाषण में कहा था, एक तो यह है कि हम ''सिक्युरिटीज'' शब्द की परिभाषा ऐग्ज़िस्टिंग एक्ट में बदल रहे हैं ताकि डैरीवेंटिव्ज़ को भी सिक्युरिटी की परिभाषा में शामिल किया जा सके। दूसरा, कलैक्टिव इन्वैस्टमैंट स्कीम्स, जो प्लान्टेशन कम्पनी से संबंधित हैं, उनको सेबी के नियंत्रण में और अधिक ला रहे हैं। तीसरा, सेबी एक्ट में जो अपील का प्रावधान है, जो अभी वित्त मंत्रालय के पास है, उस अधिकार को छोड़कर जो सेबी एक्ट, में ऑलरैडी एक अपील के लिए ट्रिब्युनल बना हुआ है, उसको वह अधिकार सौंपना चाहते हैं। मुख्यतः ये ही तीन बातें इन दोनों विधेयकों में हैं।

">

"डैरीवेंटिव्ज़ के बारे में बहुत चर्चा यहां पर नहीं हुई, लेकिन अभी-अभी रूपचन्द पाल जी ने कहा कि क्या हमारा कैपीटल मार्केट, स्टाक मार्केट डैरीवेंटिव्ज़ ट्रेडिंग के लिए तैयार है और उसके पहले माननीय सदस्य श्री राधाकृष्णन जी ने कई आपत्तियां पूरे बिल को लेकर उठाईं। मैंने अपने प्रारम्भिक भाषण में कहा था कि पिछली लोक सभा में यह बिल पेश हुआ था और उसके बाद वित्त मंत्रालय की जो स्थाई समिति है, उसको यह सौंपा गया था। स्थाई समिति ने विचार करके उसके ऊपर एक रिपोर्ट दोनों सदनों को दी। उस रिपोर्ट की प्रति मेरे पास उपलब्ध है। माननीय सदस्य श्री राधाकृष्णन उस समिति के सदस्य थे, लेकिन मैंने पाया, जब मैंने उस प्रतिवेदन को देखा कि एक राज्य सभा के सदस्य को छोड़कर अन्य किसी सदस्य ने समिति की जो सिफारिशें हैं, उसके साथ अपनी असहमति नहीं जताई थी। श्री राधाकृष्णन जी ने भी नहीं जताई थी। उन्होंने कोई नोट ऑफ डीसेंट उस समिति के समक्ष पेश नहीं किया था। अभी उन्होंने जितनी बातें यहां पर कहीं, उसको सुनकर थोड़ा बहुत मुझे आश्चर्य हुआ।

">

">SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : Just a minute, Sir. My disagreement was expressed even at the meeting, but Shri Murli Deora, the then Chairman of the Committee had expressed his view that it need not be undercut. So, I did not agree with that and had expressed my disagreement in that Committee. But in obedience with the Chairman''s ruling, I could do nothing ...(Interruptions)

">Could I write it in the report without his consent?

">MR. DEPUTY-SPEAKER: What the hon. Minister is saying is that you could have given a dissenting note.

">SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN : I had given it in writing.

"श्री यशवन्त सिन्हा : मैं इसे स्वीकार कर लेता हूं। मैं इस बात को मान लेता हूं कि माननीय सदस्य ने अपनी असहमति जताई, लेकिन वह अनौपचारिक रही। औपचारिक रूप से वह समिति के प्रतिवेदन में शामिल नहीं हुई, इसलिए मेरे ध्यान में नहीं आई। लेकिन इन दोनों बातों की सफाई में मैं यह कहना चाहता हूं कि डैरीवेंटिव्ज़ का जहां तक सवाल है, उसमें हम अत्यन्त ही सावधानी से, सीमित ढंग से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, अत्यन्त ही सावधानी से, सीमित ढंग से। डैरीवेंटिव्ज़ में फ्यूचर्स हैं, ऑप्शंस हैं। हम आप्शंस को परमीशन नहीं दे रहे हैं। हम सिर्फ फ्यूचर्स को टेक अप कर रहे हैं और फ्यूचर्स में भी हम स्टाक इंडैक्स फ्यूचर्स को ही अनुमति दे रहे हैं। अन्य किसी डैरिवेंटिव को अनुमति नहीं मिलेगी। इसके अलावा सेबी को यह अधिकार है कि वह तय करे कि किस स्टाक एक्सचेंज में यह क्षमता है कि वह इनको कर सके। नेशनल स्टाक एक्सचेंज ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है, नेशनल स्टाक एक्सचेंज इसको संभाल लेने में सक्षम है, इसलिए नेशनल स्टाक एक्सचेंज में डेरीवेंटिव्ज़ की ट्रेडिंग होगी। बोम्बे स्टाक एक्सचेंज ने तैयारी की है, बोम्बे स्टाक एक्सचेंज इसको संभाल सकता है।

... (व्यवधान)
">

"मुंबई स्टाक एक्सचेंज में इसको संभालने की क्षमता है, इसलिए शायद वहां सेबी अनुमति दे, लेकिन इसको इनडिसक्रिमिनेटली हम परमीशन नहीं देने के पक्ष में हैं, न हम उन सारे फ्यूचर्स को या ऑप्शंस को, जो डैरीवेंटिव्ज़ की परिभाषा में शामिल हैं, उनको इसमें अनुमति देने की इच्छा या मंशा रखते हैं। इसलिए इसके बारे में कतई किसी को शक न हो कि सरकार बेधड़क इसमें आगे बढ़ जायेगी या सेबी को अनुमति दे देगी और इसमें किसी प्रकार गोलमाल हो जायेगा। अत्यन्त सावधानी से हम बढ़ेंगे और मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि जोइंट पार्लियामेंटरी कमेटी बारे में यहां चर्चा की गई, जोइंट पार्लियामेंटरी कमेटी, जो श्री राम निवास मिर्धा जी की अध्यक्षता में १९९२ में बनी थी, मुझे भी उसका एक सदस्य होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था।

">

"इसलिए अगर आज के दिन मैं इसके बारे में बोल रहा हूं, तो मैं कुछ क्रेडिबिलिटी के साथ बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने इस समिति में काम किया था। मैं कहना चाहता हूं कि उस समय की सरकार ने इसको स्वीकार भी किया था। इस समिति की सबसे महत्वपूर्ण फाईंडिग थी कि हम इस देश में उदारवाद लाए, लेकिन जिस व्यवस्था के तहत हमें उदारवाद लाना चाहिए था, उस व्यवस्था का हमने निर्माण नहीं किया।

">

">It was liberalisaion without regulation.

">यह उस समिति ने कहा था। उस समय उदारवाद का दौर शुरू हुआ, मैं किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, किसी पर आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, इस सदन को विश्वास में लेकर, कि जो कुछ हुआ, चाहे वह सिक्योरिटी मार्केट स्कीम हो, चाहे

">

">NBFC

">स्कीम हो, चाहे कलैक्टिव इन्वैस्टमेंट स्कीम हो, चाहे निधि स्कीम हो, चाहे म्युच्युल फन्ड स्कीम हो या किसी भी प्रकार की स्कीम हो, यह सब उसी परिस्थिति में हुआ। हमने उनको छूट दे दी कि वे रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज के पास जाकर कम्पनी को रजिस्टर कर लें, बड़े-बड़े विज्ञापन जारी करें, लोगों से धन एकत्रित करें और उसके बाद लापता हो जायें, क्योंकि कोई रेग्युलेशन नहीं है।

">

">JPC

">की रिपोर्ट के बाद धीरे-धीरे करके सरकार सावधान हुई और रेग्युलेशन बनाना शुरू किया।

">

">हमारे मित्र श्री रूपचन्दपाल जी ने कहा कि कारगिल का युद्ध हो रहा था और स्टाक मार्केट बढ़ रहा था। हां, बढ़ रहा था। कारगिल का युद्ध हो रहा था, कीमतें नियन्त्रण में थी। हां, थीं। कभी-कभी बहुत सारी अनहोनी बातें भी होती हैं और उनको स्वीकार करना हमें तथ्यों के आधार पर सीखना चाहिए। मैं इस बात को विश्वास के साथ कह रहा हूं, आज

">

">SEBI

">के नियन्त्रण के चलते यह संभव नहीं है कि भारत का स्टाक मार्केट कोलैप्स कर जाएगा। वह कोई बुलबुला नहीं है जो किसी भी दिन फट सकता है। अगर रूपचन्द पाल जी और उनके अन्य मित्रों को इसके बारे में कोई सन्देह है, तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि वे अपने मन से इस बात को निकाल दें, क्योंकि इस प्रकार का अभी कोई खतरा नहीं है। मार्जिनिंग रिक्वायरमेंटस ऐसे हैं कि मार्केट कभी फेल नहीं हो सकता है, सैटलमेंट कभी डिफाल्ट में नहीं जाएगा। इसलिए हम आज के दिन महसूस करते हैं कि जिस सावधानी के साथ डेरिवेटिव्ज के मामले में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें कहीं किसी प्रकार का खतरा नहीं है। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि हम डेरिवेटिव्ज को डील करने के लिए इक्विप्ड है और हम डेरीवेटिव्ज ट्रेडिंग को एलाऊ करने जा रहे हैं।

">

">हमारे मित्र किरीट सोमैया जी इसके बारे में बहुत ही जानकार हैं। इस विषय पर इनसे हमारी चर्चा होती रही है। यह सही है कि से हमारे देश में छोटे निवेशक हैं और उनके साथ अत्याचार हुआ है, उनके ऊपर जुल्म हुआ है। जिस तरह से उनके पैसे डूबें हैं, वह अत्यन्त ही पीड़ा की बात है। चाहे वह पैसा

">

">NBFC

">के माध्यम से हुआ हो, चाहे स्टाक मार्केट में वेंनिशिंग कम्पनीज के माध्यम से हुआ हो, चाहे क्लैक्टिव इन्वैस्टमेंट स्कीम के माध्यम से हुआ हो, चाहे म्युच्युल फन्ड के माध्यम से हुआ हो, यह अत्यन्त ही बुरी बात है, क्योंकि कोई नियम, कायदा, कानून नहीं था। सदन में गोल्डन फारैस्ट कम्पनी की बात कही गई और कहा गया कि उसने हजारों करोड़ रुपए क्लैक्ट कर लिए, कोई विज्ञापन दे कर। वे कम्पनियां बैठ गईं या बिल्कुल गायब हो गईं और लोगों की गाढ़ी कमाई का पैसा डूब गया। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि हम क्लैक्टिव इन्वैस्टमेंट स्कीम ला रहे हैं। १९९७ में इससे पहले वाली सरकार ने, उस समय अटल जी की सरकार नहीं थी, संयुक्त मोर्चे की सरकार थी, उन्होंने इसके लिए प्रावधान किया और यह अधिकार दिया कि क्लैक्टिव इन्वैस्टमेंट स्कीम रैग्युलेट करे।

">

">उसके बाद एक एक्सपर्ट कमेटी बनी। दवे कमेटी ने इसकी सारी जांच-पड़ताल की। उसने कहा कि कलेक्टिव इनवेस्टमेंट स्कीम को कैसे डिफाइन करना चाहिए और कौन-कौन सी बातें कलेक्टिव इनवेस्टमेंट स्कीम में नहीं आनी चाहिए। हमारे कांग्रेस के मित्र नाच्चीयपन जी ने कहा कि हमने उसमें क्यों सात तरह के अपवाद रखे हैं। मैं उसमें सदन का समय बर्बाद नहीं करना चाहता लेकिन ये सातों अपवाद इसलिए हैं क्योंकि इन सातों अपवादों के लिए इनको रेगुलेट करने के लिए अलग से कानूनी प्रावधान है। इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं थी कि इनको रेगुलेट करने के लिए फिर इस कानून में कोई प्रावधान किया जाए। इसलिए इन सातों अपवादों को रखा गया है और दवे समिति ने कलेक्टिव इनवेस्टमेंट स्कीम की जो परिभाषा दी है इसी परिभाषा को हमने एक्ट में लागू किया है। बराड़ जी ने कहा कि मैं कड़ा विरोध करता हूं। मुझे यह बात समझ में नहीं आई कि इस अमेंडमेंट से, जिसमें हम सेबी को अधिकार देकर इस बात के लिए सक्षम बनाना चाहते हैं कि उनके ऊपर नियंत्रण रखे तो वे कैसे ये कह रहे हैं कि इससे ओर लूट की छूट मिल जाएगी, यह बात मेरे दिमाग में तो नहीं बैठ पाई।

">

">मैं इस बात से सहमत हूं कि लूट हुई है। छोटे निवेशकों के साथ धोखा हुआ है और उसी को नियंत्रित करने के लिए यह अमेंडमेंट लाया जा रहा है ताकि आगे से यह संभव न हो, लेकिन बात बिलकुल उल्टी है। उनके मन में तथा अन्य सदस्यों के मन में यदि इस प्रकार की भावना है तो मैं कहूंगा कि कृपया इसको आप अपने मन से निकाल दें, क्योंकि इसके बाद सेबी को वे अधिकार प्राप्त होंगे जिसके तहत वह इनको नियंत्रित कर सकते हैं।

... (व्यवधान)
">

">श्री पवन कुमार बंसल : इन्होंने यह कहा था कि इस तरीके से सेबी के पास ये भी अधिकार हो जाएंगे कि जमीन की खरीद-फरोख्त भी उसमें आ जाएगी।

">

">That is a State subject. ... (

">व्यवधान)

">

">श्री यशवंत सिन्हा : मैं उस बिन्दु पर आ रहा हूं। उन्होंने पहले यह कहा कि इससे छूट मिल जाएगी।

... (व्यवधान)
">

">श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : आपने शायद देखा नहीं, आप एक बात में रह गए।

">

">You have been swayed only by one consideration. ... (

">व्यवधान)

">

">SHRI YASHWANT SINHA:

">मैंने देखा नहीं, सुना।

">

">I listened to him very carefully. Shri Brar opened the debate and I listened to him very carefully. I did not interrupt him at that point of time. I have here my notes which I have taken meticulously in order to be able to reply to those points.

">The second point that he has made is about the right of the States and how this Act or amendment encroaches upon the constitutional right of the States. I do not agree with that approach. I do not think that through this amendment, we are, in any way, encroaching upon the constitutional jurisdiction of the State Governments. What is the power that we are taking? The only power, Mr. Deputy-speaker, that we are taking is to regulate the collective investment schemes which are clearly defined. They relate to agricultural operations because they relate to plantations. It has nothing to do with purchase, distribution, utilisation and lease of land. We are only concerned with the financial instrument and that financial instrument does not fall within the jurisdiction of the State Governments. Under the Constitution, it falls entirely within the jurisdiction of the Government of India and therefore, we are competent to legislate on this.

">इन्होंने जो तीसरा बिन्दु उठाया था वह यह था कि हम अधिकारियों को और अधिक अधिकार दे रहे हैं कि वे घोटाला करें। हमारे मित्र सेनगुप्ता जी खड़े हुए थे लेकिन वह नियम नहीं बता पाए कि किस नियम के तहत वह प्वाइंट ऑफ आर्डर उठा रहे हैं इसलिए उनकी बात नहीं सुनी गई। मैं समझता हूं कि किसी भी अधिकारी के ऊपर, संस्था के ऊपर हल्के ढंग से कोई आरोप लगा देना सदन की शोभा नहीं बढ़ाता है।

... (व्यवधान)
">

">श्री जे.एस. बरार (फरीदकोट) : माननीय मंत्री जी, इस देश का करोड़ों रुपया ले गए, क्या यह मामूली बात है? लोगों ने खुदकशी कर ली, उनका पैसा डूब गया, क्या यह मामूली बात है?

">

">This is your non-seriousness. We appreciate what you have said, but this ...(Interruptions)

">MR. DEPUTY-SPEAKER: You hear the hon. Minister. If there is any clarification that you want to seek thereafter, I will allow you.

">... (Interruptions)

">SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : If a Member has some apprehension about a particular thing, this is the comment that the Minister is making.

">MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Bansal, let him complete. Thereafter, if you want to seek any clarification, I will allow you.

">... (Interruptions)

">SHRI J.S. BRAR : I have not taken any names. I have taken full care of the decorum of the House. Did I mention any name? ....(Interruptions)

">SHRI YASHWANT SINHA: Sir, that makes it even worse because we denigrate an entire class of people by making such an accusation. ... (Interruptions)

">SHRI SOMNATH CHATTERJEE (BOLPUR): There are black sheep also.

">SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : When sweeping powers are being given to any particular body, institution or organisation, we certainly have the right to express our apprehensions about it.

">SHRI YASHWANT SINHA: We are not giving sweeping powers.

">SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : What we are expressing our apprehension about is that SEBI would try to even cover those cases where there is a case of only purchase of land.

">SHRI YASHWANT SINHA: Sir, I should not be interrupted like this, unless I yield.

">उपाध्यक्ष जी, मैंने अपना भाषण अभी समाप्त तो नहीं किया। मैं यह कह रहा हूं कि हमने उतने ही अधिकार सेबी को दे रहे हैं जितने अधिकारों की आवश्यकता है। एक तरफ यह कहा जा रहा है कि इतने अधिकार अधिकारियों को दे दिये गये है कि वे लूट मचाए हुए हैं। दूसरी तरफ यहां रूपचंद पाल जी ने कहा कि सेबी के अध्यक्ष से उनकी बात हो रही थी तो सेबी के अध्यक्ष ने कहा कि हम तो टीथ-लैस हैं। इसलिए हम उनको न कम अधिकार दे रहे हैं न अधिक अधिकार दे रहे हैं। इसके पहले चूंकि इन्हें अधिकार नहीं थे इसलिए सेबी नियंत्रण करने में सक्षम नहीं था। जैसा कि मैंने कहा १९९७ से पहले उसको यह करने का कोई अधिकार नहीं था। उपाध्यक्ष जी, तीसरी बात जो मैंने कही, जो हमने अपील की व्यवस्था की है। श्री किरीट सोमैया सही कह रहे थे कि एक मामला एच.एत.एल. का आया जिसमें सेबी ने एक आर्डर पास किया। जो अभी वर्तमान में एक्ट में प्रावधान है उसके तहत उसकी अपील वित्त मंत्रालय में आई। वित्त मंत्रालय के दो पदाधिकारियों की एक बैंच बनाई गयी थी कि मामले को ये दो अधिकारी सुनेंगे। इसमें वित्त मंत्रालय के अधिकारी या बाकी मंत्रालयों का कोई लेना-देना नहीं है। वे दो व्यक्ति ही इसको अपनी व्यक्तिगत कैपेसिटी में सुन रहे हैं। सेबी ने जो आदेश दिया था उसके साथ वे सहमत नहीं हुए और उस आदेश को उन्होंने निरस्त कर दिया। उसके बाद एक अजीब परिस्थिति पैदा हो गयी। कुछ लोगों को क्योंकि इसकी पूरी जानकारी नहीं थी तो उन्होंने सोचा कि वित्त मंत्रालय ने सेबी के आर्डर को निरस्त कर दिया है। दूसरी बात क्या हुई कि सेबी ने जब इस आर्डर के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की तो वह किसके खिलाफ की। वह वित्त मंत्रालय के दो अधिकारियों के आर्डर के खिलाफ अपील की। अब सरकार के ही दोनों अंग हैं और आपस में हाईकोर्ट के सामने खींचातानी हो रही है। अपील सेबी से वित्त मंत्रालय में आती है इसीलिए मैंने इस पर विचार किया और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पहले से एक प्राधिकरण बना हुआ है, ट्रिब्यूनल बना हुआ है जो सेबी के आदेश के ऊपर अपील सुनता है, उसी को अधिकार दे दिया जाए कि वह अपील सुने। किरीट सोमैया जी को इसके बारे में थोड़ा शक था कि पता नहीं वह अधिकारी ज्वाइंट-सैक्रेट्री लेवल का है और जो यह सेबी का अध्यक्ष है वह सैक्रेट्री लेवल का है। राज्य मंत्री को कैबिनेट मंत्री कैसे सुनेगा। मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह की बात नहीं है। सेबी एक्ट में जो प्रावधान है उसके तहत यह कहा गया है कि-

">
"The presiding officer is/has been qualified to be a Judge of the High Court."

इस लेवल का व्यक्ति जो है वही उसका अध्यक्ष बन सकता है और जब से ट्रिब्यूनल बना है उसके पास काम बहुत कम रहा है। यह जो काम अपील देने का हम कर रहे हैं उससे उसके काम में भी इजाफा होगा और हमारे मंत्रालय के पदाधिकारी का भी काम थोड़ा कम होगा और यह सारी व्यवस्था सही हो जायेगी। हमें जो एच.एल.एल. के केस में परेशानी हुई, उस तरह की परेशानी का सामना भी हमें नहीं करना पड़ेगा।

जहां तक अंतिम प्रश्न का सवाल है जो अभी हमारे माननीय सदस्य उठा रहे थे कि हम क्या कर सकते हैं। उस तरह की कंपनियां इस देश में १९९० के दशक में पैदा हुईं जिन्होंने लोगों का पैसा इकट्ठा किया और उसे लेकर चम्पत हो गयीं। एक चम्पावत नाम के व्यक्ति या परिवार का नाम भी लिया जा रहा था।

... (व्यवधान)
पांच हजार नहीं उससे कहीं ज्यादा पैसा वे ले गये। क्या हुआ, पैसा लेकर चम्पत हो गये।

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : सेबी को पॉवर दी थी।

श्री यशवंत सिन्हाः आप मेरी बात सुनिये और जरा धैर्य रखिये।

उपाध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि इसके पहले जब हम लोग सरकार में थे तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस बारे में बहुत चिन्ता व्यक्त की थी। उस समय सेबी, कम्पनी लॉ बोर्ड और डिपार्टमेंट ऑफ कम्पनी अफेयर्स को यह निर्देश दिया गया कि एक जाइंट टीम बनाकर इस सारी व्यवस्था को दुरुस्त करें और जो कम्पनियां पैसा लेकर गायब हो गई हैं, उनसे पैसा वापस लेकर उन्हें दंडित करने के लिये जितनी जल्दी हो सके, काम किया जाये। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेबी ने समय समय पर ऐसी कम्पनियों के खिलाफ मुकदमे दायर किये हैं तथा कम्पनियों के संवर्धकों तथा निदेशकों को आपराधिक कानून के अंतर्गत निवेशकों द्वारा दायर किये गये मुकद्दमों के आधार पर जेल भेजा गया है।

श्री रूपचन्द पाल : लेकिन कितने नम्बर में लोग जेल गये हैं?

श्री यशवंत सिन्हाः बहुत नम्बर में जेल गये हैं और बड़े बड़े लोग जेल गये हैं।

कुंवर अखिलेश सिंह : माननीय वित्त मंत्री जी, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक जिन कम्पनियों को राजनैतिक संरक्षण मिला हुआ है, उनके खिलाफ आज तक क्या कार्यवाही की गई है? आप उस दिशा में क्या पहल कर रहे हैं, यह बताइये।

श्री यशवंत सिन्हाः उपाध्यक्ष महोदय, उस दिशा में हम यह पहल कर रहे हैं कि इस अमेंडमेंट को लाकर सेबी को इस योग्य बना रहे हैं कि ऐसी कम्पनियों पर नियंत्रण हो, वे लोगों को आगे न ठग पायें। जिन लोगो ने ठगी की है, उनके खिलाफ कार्यवाही हो। बहुत सी कम्पनियों के खिलाफ कार्यवाही हुई भी है। यहां प्लांटेशन कम्पनी के बारे में बात हो रही थी। ऐसी पांच कम्पनियां हैं, जिनमें गोल्डन फारेस्ट कम्पनी भी शामिल है जिसके खिलाफ कार्यवाही हुई है। सेबी ने हाई कोर्ट में अप्रोच करके उसको रेस्ट्रेन किया है कि वह अपनी प्रापर्टी या अस्सेटस को डिस्पोज़ ऑफ न कर सके ताकि उन अस्सेटस से पैसा वसूल किया जा सके और लोगों को उनका पैसा दिलाया जा सके जिन्होंने इसमें पैसा लगाया है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सतत सावधानी ही इसका सबसे बड़ा उपाय है। जो लालच में आकर एक का दो और दो का तीन बन जायेगा, इस धोखे में आकर पैसा लगा बैठे, अब उसमें पैसा लगाना संभव नहीं है। हमें और इस देश की जनता को सावधान रहना पड़ेगा कि ऐसा कम्पनियों के चक्कर में न आयें। मुझे इस बात की खुशी है कि सेबी समय समय पर इस तरह के विज्ञापन निकालती रहती है जिसमें लोगों को सावधान किया जाता है कि ऐसी कम्पनियों में वे पैसा न लगायें।

श्री किरीट ने रेंटिंग के बारे में ६९ कम्पनियों का जिक्र किया। सब की रेंटिंग है।

They are below investment grade.

सेबी ने दिनांक १७ जून, १९९८ तथा जुलाई, १९९८ के प्रेस प्रकाशनों के माध्यम से निवेशकों को सूचित किया है कि सभी सामूहिक विनिधान योजना को साख निर्धारण एजेंसियों के विनिधान अनुपयुक्त (

Below investment Grade)

रेंटिंग मिली हुई है जिससे निवेशकों को भारी खतरे की संभावना है। आगे सेबी ने यह निर्देश दिये हैं कि बागत कंपनियों द्वारा अपने द्वारा जारी किये गये विज्ञापन वि वरणिकाओं/पुस्तिकाओं तथा अन्य प्रचार सामग्री में साख रेंटिंग के साथ-साथ उसके तात्पर्य/परिभाषा का भी प्रकटीकरण करें। आगे ऐसे विज्ञापन सेबी विनियमों दिशानिर्देशों के अनुरूप होंगें।

श्री रूपचन्द पाल : रेंटिंग में भी घोटाला है।

श्री यशवंत सिन्हाः अब घोटाला तो हर जगह हो रहा है, उसका क्या किया जाये?

श्री जे.एस. बरार : वित्त मंत्री जी, आपने तो सारा मामला फ्लैट कर दिया। आनरेबल मिनिस्टर साहब, मैंने आपको बोलते समय नहीं टोका...

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : This is an admission of the total failure of the Government ... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please listen to him. He is not yielding.

... (Interruptions)

SHRI YASHWANT SINHA: Sir, I am about to end my reply ... (Interruptions)

SHRI RAJESH PILOT (DAUSA): The hon. Member has asked a very simple question ... (Interruptions) He would like to know whether the Government would be able to come out with an Action Plan with this amendment that would give a signal to those companies which are likely to do the same thing in future ... (Interruptions)

That was the question which the Member belonging to the ruling party asked. It is a very genuine question. The Minister should come out with an answer for that question.

SHRI YASHWANT SINHA: I have already explained. I have explained that with the steps which have been taken in the past -- this is not the first step that we are taking -- and with this amendment where we are giving powers to SEBI, it will not now be possible for any company to cheat people in the sense that they cannot just register anywhere they like. They cannot issue prospectuses and advertisements in the manner they like. They cannot collect money from depositors in the manner they like. All this is going to be regulated now. The future is going to be safe. But in regard to the companies which have already defrauded the people, in regard to the companies which have cheated people, we have taken a number of steps. I mentioned to you that under the instructions of the Prime Minister a joint team is already looking at it and we are taking action against those companies. I explained to you what action has to be taken. I would like to say that the amendments which I have moved today before this House are all eminently reasonable. They will facilitate market operations; they will regulate markets better; they will make the markets deeper, more liquid; and they will protect the small investor which is what we want to achieve through this provision.

Therefore, Sir, I would suggest that this Bill be passed.

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर-पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी एक ही प्रार्थना है कि मंत्री महोदय ने जो कहा है, वह बात सही है। आपने वित्त मंत्री बनने के बाद जो वैनिशिंग कंपनीज़ के संबंध में ऐक्शन ग्रुप अपॉइंट हुआ है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ और सेबी का, प्लांटेशन कंपनीज़ के बारे में यह ग्रुप अपॉइंट नहीं हुआ है। इस ग्रुप को प्लांटेशन कंपनीज़ के बारे में कोई भी ऐक्शन लेने का अधिकार नहीं है। मेरी मंत्री महोदय से सिर्फ इतनी प्रार्थना है कि आपने जो इनीशियेटिव लिया, उसके कारण वह ऐक्शन ग्रुप अपॉइंट हुआ है, वह कितने समय में ऐक्शन पूरा करेगा?

दूसरी बात यह है कि प्लांटेशन कंपनीज़ में से पैसे रिकवर करने के लिए क्या माननीय मंत्री महोदय इस प्रकार के ग्रुप की व्यवस्था करेंगे?

श्री यशवन्त सिन्हा : प्लांटेशन कंपनीज़ के बारे में इस प्रकार का ग्रुप बनाने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि सेबी को सारे अधिकार प्रदत्त हो जाएंगे इस अमेण्डमेंट के बाद, और मैंने पहले भी इस सदन को बताया था कि १९९७ में उस समय की सरकार द्वारा सेबी को जो अधिकार दिये गये थे और जिन अधिकारों के तहत सेबी आज काम कर रही है उसी अधिकार के तहत सेबी के लिए संभव हुआ कि वह इन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करे और हाई कोर्ट को मूव करे कि वह रिस्ट्रेन करे इन कंपनियों को अपने ऐसेट बचाने के लिए। वह कार्रवाई सेबी द्वारा चल रही है और जो लोग रजिस्टर कर रहे हैं, जो ६०० कंपनियों ने रजिस्टर किया, जिसको सेबी ने कहा कि तुम क्रेडिट रेंटिंग कराओ, जिसमें ६९ कंपनियों ने क्रेडिट रेंटिंग कराई और सब इनवेस्टमेंट ग्रेडिंग के नीचे पाए गए। यह सब कार्रवाई सेबी द्वारा हो रही है और इसलिए इसमें कोई विशेष व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है। उस विशेष व्यवस्था को इसलिए किया गया था क्योंकि जिस अवधि की बात मैं कर रहा हूं, उस अवधि में बहुत सारी कंपनियां स्टॉक मार्केट में आईं जो कागज़ी कंपनियां थीं। उन्होंने लोगों के पैसे इकट्ठे किये और वह वैनिश कर गईं, गायब हो गईं। उन कंपनियों को लोकेट करने के लिए इस प्रकार की मल्टी डिसिप्लिनरी टीम की आवश्यकता थी, जैसा मैंने कहा कि प्रधान मंत्री के निर्देश के अनुसार बनाई जा चुकी है।

... (व्यवधान)

श्री जे.एस. बरार : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का गहरा दुख हुआ है कि मंत्री जी ने हमारी भावना समझने की बजाय, हमारी ऐप्रीहेन्शन्स को समझने की बजाय, मैं यह तो नहीं कहूंगा कि नौकरशाही का फर्ज था और उसको पूरा किया है लेकिन कोई मेम्बर ऐप्रीहेन्शन व्यक्त करता है कि इससे आप ताकत ज्यादा दे रहे हैं उन लोगों को जो पहले ही जिम्मेदार हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया अभी तक, करोड़ों रुपये लुट जाने के बाद लोगों के बारे में, तो यह डीग्रेड करना पार्लियामेंट को नहीं है, यह मैं स्पष्ट करना चाहता हूं।

श्री यशवन्त सिन्हा : मैंने नहीं कहा है।

श्री जे.एस. बरार : आपने यही कहा। एक आपके नोटिस में मोस्ट इंपॉर्टेन्ट बात लाना चाहता हूं। '

Parliament has been superceded by the Securities and Exchange Board of India."

क्यों, कैसे?

"The Securities and Exchange Board of India has framed the Securities and Exchange Board of India Collective Investment Schemes (Regulations), 1999 and duly notified the same in Gazette of India extraordinary part 2, section 3, sub-section(2) on the 15th October, 1999."

Now, I want to say that an attempt has been made by the Securities Exchange Board of India to take the Parliament for granted.

इसके बारे में आपका क्या विचार है? अगर हम यह एप्रीहेन्शन व्यक्त करते हैं कि यह स्टेट मैटर्स को इनफ्रिन्ज करने की बात है, कांस्टीट्यूशन का उल्लंघन करने की बात है, आप बहुत काबिल है, आप यह कह सकते हैं कि यह नहीं है। लेकिन आपका यह कहना कि घोटाले होते रहते हैं, घोटाले कंट्रोल नहीं होंगे, घोटालों की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, फिर इस सारे अमेंडमेंट बिल का कोई फायदा ही नहीं है।

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Sir, there is Regulation even before the amendment of the Act.

श्री जे.एस. बरार : सेबी ने अमेंडमेंट एक्ट के पहले ही रेगुलेशंस का गजट नोटीफिकेशन कर दिया जो आपकी जानकारी में नहीं है। आप बुरा न माने, इससे तो मुझे लगता है कि यह ठयस मिनिस्टर'' सीरीयल वाली बात है। मंत्री जी को कुछ पता ही नहीं है कि सेबी क्या कर रही है

... (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिन्हाः उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कभी नहीं कहा कि पार्लियामेंट को या इस सदन को डेनिग्रेड या डीग्रेड किया जा रहा है। मैंने इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया

... (व्यवधान)
आप रिकार्ड देख लीजिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा था कि किसी भी

... (व्यवधान)

श्री रामसागर रावत (बाराबंकी) : मंत्री जी, जो बेईमान कम्पनीज हैं उनको निरुद्ध करने की बात आप सदन में क्यों नहीं कहते हैं। सरकार यह तो कर सकती है।

श्री यशवन्त सिन्हाः जितनी स्पष्टता से मैं कह सकता था उतनी स्पष्टता से मैंने कहा, इससे अधिक स्पष्टता मैं नहीं जानता कि इसे कैसे प्रकट कर सकता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा था कि चूंकि आदरणीय सदस्य जे.एस. बराड़ ने शुरू में ही कहा कि मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं और उन्होंने तीन बिन्दु बताये। उनका अंतिम बिन्दु यह था कि अधिकारियों द्वारा लूट-पाट हो रही है और जो प्रावधान आज हम करने जा रहे हैं, उस प्रावधान से उनको लूट-पाट करने में और सहूलियत हो जायेगी।

श्री जे.एस. बरार : यह मुद्दा अलग था, इसके अलावा तीन और मुद्दे थे।

श्री यशवन्त सिन्हाः उन तीनों मुद्दों का मैंने जिक्र किया। उस पर उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा था कि जैसे सेबी के अधिकारी हैं, सेबी को अधिकार ही नहीं था, इसमें वह क्या कर सकते थे। हमने उनको कब अधिकार दिया। हमने उनको १९९७ में अधिकार दिया। उस समय से उन्होंने इसे रेगुलेट करना शुरू किया और जिस रेगुलेशन की बात यह कह रहे हैं, वह उसी अधिकार के तहत उन्हें १९९७ में दिया गया था और उसी अधिकार के तहत उन्होंने किया।

उसके बाद इसी बीच में एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई, जिसका नाम दवे कमेटी रखा गया। उसने कहा कि इसे अस्पष्ट मत छोड़ों -ठ

"Let there be no confusion."

Therefore, they suggested a definition of what should be included in the collective investment schemes.

That is the Amendment that we have brought here so that there is no confusion, whatsoever, either about the authority and the powers of the SEBI because these powers have been challenged in various High Courts. This is also an issue. The question whether those administrative orders which were issued in 1997 would be able to help the SEBI, and would defend its position in the courts of law is something about which there is no clarity, and we are bringing this Amendment so that it is put on the Statute Book and it is beyond the realm of any doubt that SEBI has the authority and the power. That is why this Amendment has been brought. Let this be very clearly understood. Once SEBI has these statutory powers, SEBI will be very well-equipped to deal with the situation which has arisen or might arise in future. That is why this Amendment is there.

SHRI J.S. BRAR : Sir, earlier, when the Parliament was in Session, they did not lay it on the Table of the House.

SHRI RUPCHAND PAL : Sir, I have two questions to ask. Firstly, several Committees have gone into the working of the capital market. Taking note of the deficiencies and inadequacies of the Indian capital market, they have made very valuable recommendations.

One more recommendations... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Rupchand Pal, please put your question straight. Why are you indirectly going into the question?

SHRI RUPCHAND PAL : Sir, I am directly coming to the question.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Yes, you directly ask your question.

SHRI RUPCHAND PAL : The very important recommendation is about transparency in the operations of the capital market.

How this Government wants to ensure the transparency in the operations of the capital market?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Ramdas Athawale wants to seek a clarification.

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस के मित्रों ने और अन्य कुछ मित्रों ने मिलकर ऐसा कुछ किया है कि सिर्फ उन्हीं को बोलने का मौका मिले

... ... (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please do not cast such aspersion. We had discussion in a very good atmosphere.

मैंने उधर से स्टार्ट किया था। शायद आपने देखा नहीं होगा। कृपया इस प्रकार के आरोप न लगाए।

प्रो. रासा सिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, मुरली देवड़ा जी इस कमेटी के अध्यक्ष थे और उन्होंने जो अनुशंसाएं कीं उनके अनुसार यह अमेंटमेंट बिल लाया जा रहा है।

... (व्यवधान)

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, घोटाले बढ़ते जा रहे हैं। अतः सरकार ने यह अमेंडमेंट लाने की आवश्यकता महसूस की। इसलिए सरकार अमेंडमेंट लाकर अच्छा कार्य कर रही है। मैं मंत्री महोदय से यह एश्योरेंस चाहता हूं कि इस अमेंडमेंट के बाद घोटाले नहीं होंगे। यह आश्वासन वे आज इस सदन में दें। तब तो हम इस संशोधन को स्वीकार करें। यदि संशोधन के बाद भी घोटाले होते जाएंगे, तो फिर इस संशोधन को यहां पास करने का क्या फायदा है।

... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर रावत, यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो संक्षेप में पूछिए।

प्रो. रासा सिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके बारे में केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि-

' माया से माया मिले कर-कर लम्बे हाथ ।

तुलसी हाय गरीब की पूछे नहीं कोई बात ।।'

गरीबों के हितों की रक्षा करने के लिए और भी यदि कोई प्रखर से प्रखर कदम उठाने की जरूरत हो, तो वे भी उठाए जाएं।

DR. NITISH SENGUPTA (CONTAI): I fully support this Bill at this stage. The basic problem was that when the Parliament in one line amending Bill abolished what was known as capital issues control in 1992, the real mistake was there. Before that, so long as capital issues control was in position, no ghotala or any such thing ever took place because there was strict control and the Controller of Capital Issues actually fixed up the price at which shares were to be issued. It was suddenly abolished. No alternative was in position which the hon. Minister is now trying to put in place. There was a Sebi, but it had no power at that time.
MR. DEPUTY-SPEAKER: You can seek a clarification from the hon. Minister, but not make a speech.

DR. NITISH SENGUPTA (CONTAI): It was due to introduction of free pricing that these changes took place. My question is with all these changes, will the Sebi be in a position to fulfil the role of a proper regulatory authority which the C.C.I used to do.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Can MPs be members of the Sebi Appellate Board?

SHRI YASHWANT SINHA: Not to my knowledge. Now, three sets of questions have been raised. The first is about transparency. Through a whole series of measures based on the recommendations of various Committees including the Joint Parliamentary Committee, as I said earlier, the functioning of the stock market is far more transparent today than it was in the past and this amendment that we are bringing about with derivatives is something which will bring further transparency because future is different from forward.

There is some kind of a forward market which goes on informally at times; and, at times, it is permitted through some rule or the other.

Once we bring the derivatives, clear the futures market and make it legal, it will not only ensure protection for those who are indulging in the futures market but also lead to a greater transparency in the market. This is what I would like to say in response to the point raised by Shri Rupchand Pal.

As far as the issue raised by Dr. Sengupta is concerned, I would like to say that SEBI will certainly be more equipped after this amendment to deal with the collective investment schemes. NBFCs are not within the jurisdiction of the SEBI. They are within the jurisdiction of the RBI. But SEBI will certainly be better equipped to deal with collective investment schemes which include the plantation schemes.

As far as the ghotalas are concerned, I would like to say that with all these measures that we are taking, the chances are that we will be able to minimize the fraud which takes place and we will be able to eliminate the situations and the circumstances which lead to such defrauding of the small investor.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill further to amend the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, be taken into consideration."

The motion was adopted.

SHRI J.S. BRAR : Mr. Deputy-Speaker, Sir, I have given notice of an amendment. You have not called me.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You will be called when your amendment is to be taken up but not now. You are a senior Member of this House. We have just now started.

... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up clause by clause consideration of the Bill.

The question is:

"That clauses 2 to 10 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 to 10 were added to the Bill.

Clause 11

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Brar, your amendment Nos.1, 2 and 3 have come up now. Are you moving them?

SHRI J.S. BRAR : Yes, I am moving them.

I beg to move:

Page 4, lines 15 and 16,-

for "profits, income, produce or property, whether movable or immovable"

substitute "profits or income" (1)

Page 4, line 18,-

omit "property," (2)

Page 4,-

after line 45, insert-

(ix) under which agricultural activities are undertaken,

(x) which involve transfer of agricultural land, or lease of land, or agricultural loans or development and improvement and improvement of land,

(xi) which are in the nature of joint-ventures,

(xii) which involve payment of advance for sale of goods and services. (3)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I shall now put amendment Nos.1, 2 and 3 moved by Shri J.S. Brar to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That clause 11 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 11 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The Minister may now move that the Bill be passed.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill further to amend the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and the Depositories Act, 1996, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up clause by clause consideration of the Bill.

The question is:

"That clauses 2 to 16 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 to 16 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The Minister may now move that the Bill be passed.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.